

को A/W से तलब किया जाए। पता चल
वास्ते सादय अभियोजन 12/02/2026 को
पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जालौर (राज.)

12/2/26 मध्य उपस्थित।

गोपालदास

अभिपुत्र गोपालदास वर जमानत
मय अधिवक्ता श्री सिनेर मली
उपस्थित। अभिपुत्र मानसिंह व जिल्लेसिंह
जोर हाजिर जिल्लेसी मोर से हमरी
माजी जर्जना पत्र पेश हुमा। आज
हेतु स्वीकार किया। गवाह PW-17
नारायणलाल, PW-18 पृथ्वीराज के
व्यान लेखक हु अरु गर। गवाह सं. 13
वा मृत्यु जमाना पत्र पेश हुमा।
गवाह सं. 13 को तलबी बंड जो
जाली है। गवाह सं. 3 को A/W व गवाह
सं. 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 को B/W
डण्डा - से तलब किया जाए।

पक्षकार

State

वर्ष

बनाम

Gopal Ramareb.
et alआदेश अनु.
की संदि.
टिप्पणी

दिनांक

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश

145

146

147

12/2/26

तामिलों पर लाल स्याही से रोट लगाया
जाए कि उनका Targeted case है

तामिल हर सूरत में धरवाई जाए।

शवाह सं. (3) (15) (16) (17) (18) को दिनांक

24/2/26 व शवाह सं. 19 से (22) लिख

25/2/26 को ~~केस~~ तलब किया जाए।

पत्रावली वास्तु साक्ष्य अभिलेख दिनांक

24/2/26 को पेश हो

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जालार (राज.)